

Order sheet [Contd]

case No. BA 45 / 2018

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09.02.2018	<p>आवेदक/अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र गुर्जर द्वारा श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।</p> <p>थाना गोहद के अपराध क्रमांक 396/17 अंतर्गत धारा 382, 394 भा0द0सं0 एवं धारा-11,13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट तथा धारा 25, 27 आयुध अधिनियम की कैफियत एवं केस डायरी प्राप्त।</p> <p>आवेदक जीतू उर्फ जितेन्द्र गुर्जर के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 के समर्थन में आवेदक जीतू उर्फ जितेन्द्र गुर्जर के छोटे भाई विनोद सिंह द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह व्यक्त किया है कि आवेदक का यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट है।</p> <p>आवेदक जीतू उर्फ जितेन्द्र गुर्जर के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये।</p> <p>आवेदक की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि आवेदक ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस थाना गोहद द्वारा आवेदक के विरुद्ध गलत तथ्यों के आधार पर झूठा तथाकथित अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आवेदक का किसी अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदक निर्दोष है उसे रंजिशन फंसाया गया है। आवेदक अपने परिवार में एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है, यदि वह अधिक समय तक न्यायिक निरोध में रहा तो उसका परिवार भूखों मर जावेगा। आवेदक ग्राम नरेश्वर थाना रिठौरा जिला मुरैना का निवासी होकर संभ्रान्त नागरिक है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।</p> <p>अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया है और अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने पर बल दिया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 14.12.2017 की रात्रि 2 बजे के लगभग फरियादी अशोक बाथम के घर स्थित बरथरा रोड गोहद में, जब कि फरियादी व उसका परिवार सो रहे थे, चार बदमाश घुस आये एक बदमाश ने अशोक बाथम के भाई कमल सिंह को कटटे का बट मारा जिससे उसकी नाक तथा हाथ की उंगली में चोट आयी, दूसरी बदमाश ने अशोक बाथम के भतीजे अभिषेक के कुल्हाड़ी मारी जिससे उसके माथे पर उपर सिर में चोट आयी तथा खून निकल आया।</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>झूमा-झटकी कर चारों बदमाश भाग गये। चारों बदमाश अलमारी में रखा सोने-चांदी का जेवर, कीमती लगभग दो लाख रुपये नकदी पचास हजार सहित लूट ले गये थे। उक्त घटना की रिपोर्ट देहाती नालसी के रूप में थाना गोहद में दर्ज करायी गयी।</p> <p>दौराने अनुसंधान यह तथ्य सामने आये कि उक्त लूट रवि गुर्जर, जीतू उर्फ जितेन्द्र गुर्जर, रट्टी उर्फ सुभाष गुर्जर एवं बल्लो उर्फ बलवीर गुर्जर ने मिलकर की थी तथा उक्त मारपीट की थी। अभियुक्त रवि गुर्जर के आधिपत्य से एक जो कानों की झुमकी सोने जैसी, एक चांदी जैसा धातु का गुच्छा, 1,600/-रुपये, जीतू उर्फ जितेन्द्र गुर्जर से एक जोड़ सोने जैसी धातु के टॉप्स, तीन जोड़ी चांदी जैसी पायल, एक कुल्हाड़ी लोहे की, 3,000/- रुपये नकद एवं 6,000/- रुपये नकद, रट्टी उर्फ सुभाष गुर्जर से एक सोने जैसी धातु की चैन दो तोला, एक 315 बोर का कट्टा, दो जिन्दा राउण्ड एवं 3,500/-रुपये एवं अभियुक्त बल्लो उर्फ बलवीर सिंह गुर्जर से दो अंगूठी जनानी सोने जैसी धातु की, 2,000/-रुपये नकद एवं लोहे का एक फरसा जप्त किया गया है।</p> <p>म0प्र0 डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा-5(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि जमानत आवेदन का विरोध किया गया हो, तो आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा।</p> <p>इस प्रकार धारा-5(2) के तहत विरोध किए जाने पर जमानत मंजूर किए जाने का वर्जन है। अतः आवेदक जीतू उर्फ जितेन्द्र गुर्जर का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।</p> <p>आदेश की प्रति केस डायरी सहित थाना गोहद की ओर प्रेषित की जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p>(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)